O.S.D.A.V Public School, Kaithal

(Directly managed by DAV College Managing Committee, New Delhi)

An Advisory to Students and Parents

Children are an asset to parents as well as to the institution, they need to be protected. Their safety and security is a big issue these days. Keeping in view some unfortunate incidents involving school children, school authority considers this necessary to provide a safe environment to them where they can feel themselves safe and secured. To accomplish this concern, important suggestions are being issued:

General Advisory for Students:-

1. After entering the school premises, no student is allowed to leave the school without permission
2. In case of emergency, the student can leave the school by depositing an application duly signed by the parents.
3. Report in the classroom for attendance.
4. In case of non-availabity of school bus or personal van after school hours,students should not leave the school premises alone rather should wait at the reception and available teacher/receptionist would inform the parents.
5. In case of any dispute with other student or person immediately inform your class incharge or the nearest available teacher.
6. Inform your class incharges regarding any broken furniture, door, window or furniture with ejected nails etc. for their repair.
7. Do not use and touch chalk-boards, electrical items,glass windows etc. unnecessarily.
8. Deodarants, perfumes, aerosol sprays or any type of sprays are not allowed in the school.
9. Use nearest wash rooms, water taps of your block as and when needed. Do not stand or loiter unnecessarily in the corridors or around the school.Keep to your left while using staircase,corridor,ramp etc.in line.
10. Students are not allowed to wear costly jewellery (rings, wrist rings of iron(broad kadas–चौड़ाकड़ा), silver or any other metal) or carry any sharp edged objects like metal or iron scale,paper cutters,swiss knife etc. etc.

In Case Of Emergency

11. Raise alarm in case of any mishappening and unforeseen problem faced by you in school or outside school campus to protect yourself.
12. Do not create panic in case of any emergency situation i.e. fire, earthquake etc. instead try to follow instructions provided by the Disaster Management Team fora safe dispersal.
13. It is advisable to bring books as per the time table. SCHOOL NEVER advises the students to bring all the books every day. School discourages heavy bags.

Transport Safety Norms

14. Do not put your arms, head out of window while travelling in bus, van, car, jeep etc.
15. Board the school bus, van etc. and cross the road safely.
16. Do not use abusive language in school, home or anywhere in society because it can create more disputes and it brings bad name to school &to your home also.
17. Leave the cycle stand one by one to avoid any injury and move safely.
18. Students coming in 1st round by school bus in morning or by any other conveyance should report near prescribed site instead of roaming around in the school premises or any unattended site.
19. Scooty/motorbikes(without license),e-bikesetc. are not allowed for students for commuting.

Suggestions for Parents

Dear Parents,

Kindly ensure that your good self follow all these guidelines and rules. Joint efforts of parents and school can avoid all the unpleasant incidents as children's safety and security is our first and foremost duty.

Safety measures while Picking and Dropping The Child

1 Accompany (Drop & Pick up) the child at the Bus Stop in morning and after the school and NEVER leave the child alone on the bus-stop.

2 Reach 5 minutes before the bus time at your stop in morning as well as after school.

3 Send properby signed application of child if he/she is not coming to school for any reason .

4 No half-day's leave will be sanctioned. In case of emergency or any mishappening in the family, ONLY parent should come to pick up the child with adhaar cardas his identity.

5 In case of emergency please ensure that driver of van/auto is informed if child would not use the van or private transportafter the school time.

6 Do not send cousins, relatives, shop boys, servants to pick up the child from the school. It is better to come yourself with original identity card i.eadhaar card of mother, father or child.

Safety measures while Commuting

7. Talk to the child regarding the behaviour of people who are in touch with the child in Bus, van, in the school, on the way to school by cycle/scooty etc.
8. Train your ward not to accompany any unknown person on the way to school or way back home.
9. Train your ward not to purchase eatables from street shops, vendors, hawkers on the way to school and vice-versa, instead of it, send home made lunch or packed eatables from home.

General Suggestions

10. Do not send your ward to tuitions. If he/she does, please keep a check on their time of returning home and vice-versa.
11. Avoid sending your ward in restaurants for celebrating birthdays, parties etc.
12. Talk to child from time to time regarding his/her safety & security.
13. Train your ward to wear proper school uniform with his/her Identity card. Send your ward with proper hair cut for boys and hair-bands and braid for girls.
14. Do not provide children with costly phones, bikes and cash.
15. Observe the regular behaviour of your ward time to time. If any passiveness seen, talk to him/her.Report to block incharges, class incharges, teachers or Principal if required.Appropriate counselling should be done. Such a situation should be dealt with sensitivity.
16. Check school bag regularly for any objectionable or unfair articles in it eg. sharp edged objects, paper cutters, spinners, jewellery,mobile phones,clips, musical items etc.

Incase of Emergency

17. Train the child & make him/her aware regarding **good touch & bad touch.**
18. Train the child to raise an alarm in case of any emergency.
19. No half-day's leave will be sanctioned. In case of emergency or any mishappening in the family, ONLY parent should come to pick up the child with adhaar card as his identity.
20. Make them learn or provide them with emergency phone numbers to students for your contact.
21. Train your ward not to use internet games or being active on social media or using chatrooms to be in touch with strangers. Such people can expose children to dangersand can be threat to them.
22. Children are told about safety exits during any unforeseen or natural calamity such as earthquakes ,fire outbreaks etc. by disaster management team. In such a situation they should follow the instruction of the faculty members for easier dispersal.

For students commuting by Private Transport (vans & autos)

I would like to once again convey, that the safety and security of all the students enrolled in school is prime concern of the school. Time and again all have been cautioned regarding engaging private vans to commute their children to and fro from school .

It is stated that school has no self interest or any connection with the owners of private conveyance. It is totally at your own desire and choice. If there is any unforeseen and unpleasant incident in or outside the private conveyance, school shall not be responsible.

Please ensure that following points are taken care of:

1. These vans are overcrowded (carrying two times the number of children actually permitted). Please ensure that your van driver is carrying adequate strength of students making it comfortable for the students
2. Many vans arrive late to the school to pick up the students. It is requested to please instruct the van/auto drivers to reach in time so that the studentsdont have to wait on the road, that may lead to safety concern.
3. Parents must have auto drivers' ID proofs and photographs. Also majority drivers do not have police verification done or not registered with transport department. Please ensure that these security measures are intact.

4. A few van drivers use the wrong side to drop children. Many of them stop their vans unsafely and allow children to get down from door which opens on the main road. Parents must also keep a check for this .
5. Vans and autos pose a problem of abusive language and bullying.
6. At times drivers are rash, cross speed limits and disobey traffic rules. Parents must take responsibility to instruct the driver for any such violation.
7. Vans/Autos must have a First-Aid kit which most of them do not have.
8. Please do not allow van drivers to send anybody else to pick up children from school.
9. Driver should not stop or halt on the wayto buy stationery or eatables for children.
10. Van driver should not drop the child mid-way (neither far away from schoolnor from home).
11. Nobody else (outsider)except for the alloted number of children should be allowed to board van when children are on board.
12. Also ensure van drivers do not smoke while the children are on board.
13. Keep talking with the child regarding the safety issues. Keep an eye on the interiors of the vans/autos for safety updation.
14. Please ensure that driver is informed incase of half day's leave or if not using the vehicle on a particular day.

Parents are suggested to verify the following documents of the van/ auto drivers

- Copy of Aadhaar Card.
- Van RC/Valid documents/Drivers DL
- Police verification document.(Submit it with the school as well).
- It is suggested that one parent by rotation should accompany the children in the van to ensure safety of the child.

ओ.एस.डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, कैथल

छात्रों व अभिभावकों हेतु निर्देशिका

बालक माता–पिता और विद्यालय की पूँजी होते हैं, अतः उनकी सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण विषय है। वर्तमान में बालक की सुरक्षा एक ज्वलन्त मुद्दा बना हुआ है। स्कूली छात्रों के साथ घटित होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए विद्यालय प्रबन्धन ने कुछ आवश्यक सुझाव व निर्देश जारी किए हैं और ऐसा वातावरण प्रदान करने के प्रयास किए हैं जिसमें छात्र स्वयं को सुरक्षित अनुभव करें और इसी संदर्भ में बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव/निर्देश जारी किए गए हैं :–

छात्रों के लिए सामान्य निर्देश/परामर्श :-

1. विद्यालय में प्रवेश के उपरान्त किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. आपात स्थिति में/यदि छात्र का जाना अनिवार्य हो तो इस स्थिति में वह अभिभावक/माता–पिता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र देकर ही विद्यालय से बाहर जा सकता है ।
3. दैनिक उपस्थिति के लिए कक्षा–कक्ष में जाकर सूचित करना अनिवार्य होगा ।
4. छुट्टी के बाद स्कूल बस या वैन की अनुपलब्धता होने पर कोई भी छात्र अकेला स्कूल से घर नहीं जाएगा । ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उपस्थित अध्यापक/अध्यापिका या रिसेप्शनिस्ट बालक के अभिभावकों को सूचित करेंगे । तब तक छात्र को रिसेप्शन पर प्रतीक्षा करनी होगी ।
5. किसी भी व्यक्ति या छात्र के साथ विवाद होने की स्थिति में तुरन्त अपने कक्षा–अध्यापक/अध्यापिका या उस समय उपलब्ध अध्यापक/अध्यापिका को सूचित करें ।
6. विद्यालय में टूटे हुए फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियों के शीशे या नुकीली कील की मुरम्मत के लिए तुरन्त कक्षा अध्यापक/अध्यापिका को सूचित करें ।
7. चॉक, श्यामपट्ट, बिजली के उपकरणों, खिड़कियों के शीशों के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ न करें।
8. डियोडोरैण्ट, इत्र या एयरोसोल स्प्रे को विद्यालय में लाने की अनुमति नहीं हैं ।
9. अपने ब्लॉक के निकटतम शौचालय या पानी के नलों का आवश्यकतानुसार उपयोग करें । बरामदों में या विद्यालय के आस–पास इधर–उधर अनावश्यक रूप से खड़े न हों । सीढ़ियों, बरामदों व रैम्प का प्रयोग करते समय हमेशा अपनी बाईं ओर चलें ।
10. छात्रों को कीमती आभूषण (अंगूठी, कड़े आदि) भारी व चौड़े कड़े (चाँदी या लोहे के) पहनने और तीखे नुकीले उपकरण जैसे लोहे के स्केल, पेपर कटर और स्विस नाइफ आदि लाने की अनुमति नहीं है ।
11. आपातस्थिति में विद्यालय के अन्दर या बाहर किसी भी दुर्घटना या अप्रत्याशित समस्या के उपस्थित होने पर स्वयं को बचाने के लिए आवाज़ उठाएँ ।
12. किसी भी आपातस्थिति यानि आग, भूकंप आदि के मामले में दहशत फैलाने की अपेक्षा आपदा प्रबंधन टीम द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, ताकि सभी सुरक्षित बाहर निकल सकें ।

13. विद्यालय में छात्रों को यह स्पष्ट निर्देश है कि समय–सारिणी के अनुसार ही बैग में किताबें व कॉपियाँ लेकर आएँ । अनावश्यक रूप से भारी बस्ता छात्र के लिए परेशानी का कारण बनता है।

परिवहन सुरक्षा मानदण्ड :-

14. बस कार, वैन, जीप आदि में सवारी करते समय अपना सिर और बाजू खिड़की से बाहर न निकालें।

15. स्कूल बस या वैन में से उतरकर सावधानी से सड़क पार करें ।

16. अपने विद्याल, घर या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अपशब्दों या उत्तेजना उत्पन्न करने वाली भाषा का प्रयोग न करें क्योंकि इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है और साथ ही यह विद्यालय व परिवार की छवि को कलंकित करता है ।

17. साइकिल स्टैण्ड से निकलते हुए अपनी बारी का इंतजार करें जिससे अनावश्यक चोट से बचा जा सके ।

18. जो छात्र स्कूल बस या वैन द्वारा पहले रूट में आते हैं वे विद्यालय के अन्दर या बाहर इधर–उधर अनावश्यक रूप से न घूमें और न ही किसी एकान्त स्थान पर जाकर बैठें । विद्यालय में आने के बाद सभी छात्र निर्धारित स्थान पर रिपोर्ट करें ।

19. विद्यालय में आने वाले छात्रों को बिना लाइसेंस के स्कूटी, मोटरसाइकिल और ई–बाइक लाने की अनुमति नहीं है ।

अभिभावकों के लिए सुझाव

प्रिय अभिभावकगण,

छात्रों की सुरक्षा हमारा प्रथम और महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य है । आप सबके और विद्यालय के संयुक्त प्रयास से ही हम इन अप्रिय घटनाओं को होने से रोक सकते हैं ।

बच्चे को स्कूल में भेजते और ले जाते समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानदंड :–

1. बच्चे को बस–स्टॉप पर कभी भी अकेला न छोड़ें । सुबह स्कूल बस में बैठाते समय और छुट्टी के बाद बस से उतरते समय हमेशा उनके साथ रहें ।

2. बस स्टॉप पर बस के समय से 5 मिनट पहले पहुँचें ।

3. यदि बालक किसी कारणवश नहीं आ रहा तो विधिवत हस्ताक्षरित प्रार्थनापत्र अवश्य भेजें ।

4. आधे दिन का अवकाश नहीं दिया जाएगा । आपातस्थिति या किसी दुर्घटनावश यदि छात्र को घर जाना पड़ता है तो उस स्थिति में केवल माता–पिता (आधार कार्ड के साथ) ही बालक को ले जा सकते हैं ।

5. यदि बालक किसी कारणवश वैन या ऑटो से नहीं जा रहा तो वैन या ऑटो के चालक को अवश्य सूचित करें ।

6. यदि बालक को विद्यालय से ले जाना है तो किसी चचेरे भाई–बहन, रिश्तेदार या नौकर को बच्चे को लेने न भेजें । स्वयं माता–पिता अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड) के साथ ही बालक लेने आएँ।

आवागमन के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा मापदंड :-

7. माता–पिता अपने बालक से उसके संपर्क में आने वाले लोगों के व्यवहार के विषय में (बस, वैन, स्कूल में, रास्ते में) पूछताछ करते रहें ।

8. अपने बालक को अपरिचित व्यक्ति से बात करने या उसके साथ आने–जाने से मना करें ।

9. बच्चे को घर का बना खाना दें और उसे इस का बात की ट्रेनिंग दी जाए कि स्कूल में जाते या स्कूल से आते समय रास्ते में पड़ने वाली दुकानों, रेहड़ियों आदि से कुछ लेकर न खाएँ ।

सामान्य सुझाव :-

10. ट्यूशन पर बच्चा जाता है तो कृपया उस पर निरंतर निगरानी रखें कि वह कब जा रहा है और कब घर आ रहा है ?

11. जन्मदिवस या किसी अन्य अवसर पर रैस्टोरेन्ट में पार्टियों पर जाने की अनुमति न दें ।

12. बच्चे की सुरक्षा के विषय में उससे बातचीत अवश्य करें ।

13. बच्चे को स्कूल यूनिफार्म में भेजें । साथ में विद्यालय का पहचान पत्र भी अनिवार्य है । लड़कों के बालों की कटिंग सही होनी चाहिए और लड़कियों को स्कूल में चोटी बना कर भेजें । (खुले बाल नहीं होने चाहिए)

14. बच्चों को ज्यादा महँगे मोबाइल, मोटर साइकिल और नकद पैसे न दें ।

15. अपने बच्चे के व्यवहार पर नज़र रखें । यदि वह निराश या हताश दिखाई देता है तो उससे बात करें। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय में ब्लॉक इंचार्ज, कक्षा इंचार्ज या प्रधानाचार्या को भी सूचित करें ताकि उसका सही मार्गदर्शन किया जा सके । इस मुद्दे पर संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए ।

16. बच्चे के स्कूल बैग की नियमित जाँच करें । कहीं उसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु जैसे– कोई नुकीली या धारदार चीज (पेपर कटर, आयरन स्केल) स्पिनर, मोबाइल फोन या कोई अन्य ऐसी चीज तो नहीं है जिससे बच्चा किसी मुसीबत में पड़ जाए ।

आपातस्थिति में :-

17. बच्चे को अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श (गुड टच, बैड टच) के बारे में अवश्य प्रशिक्षित करें ।

18. किसी भी आपातस्थिति के उपस्थित होने पर उसे विरोध करने व शोर मचाने के लिए प्रशिक्षित करें।

19. किसी भी मुसीबत में फँसने पर बच्चे को कुछ फोन नं. जरूर याद करवा दें ताकि वह आपसे तुरन्त संपर्क कर सके ।

20. इंटरनेट के अवांछित प्रयोग से बचने की सीख दें । किसी अनजान व्यक्ति से चैटिंग करना, गेम खेलना उन्हें मुसीबत में डाल सकता है ।

21. भूकंप या आग लगने की स्थिति में घटनास्थल से सुरक्षित निकलने का प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन टीम द्वारा दिया जाना चाहिए ।

माता–पिता अध्यापक या अध्यापिका से संपर्क करने हेतु पूर्वानुमति लेकर ही आएँ ।

निजी वाहन (ऑटो, वैन, रिक्शा) का प्रयोग करते समय छात्र इन चीज़ों का ध्यान रखे :-

विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की सुरक्षा विद्यालय का प्रथम कर्त्तव्य है । अतः समय–समय पर निजी वाहनों से विद्यालय में आने व जाने वाले छात्रों व उनके अभिभावकों को सचेत किया जाता है ।
निजी वाहनों चालकों से विद्यालय का कोई लेना देना नहीं होता और न ही विद्यालय का कोई व्यक्तिगत लाभ होता है । यह पूर्ण रूप से अभिभावकों की इच्छा व पसंद है । यदि निजी वाहनों में विद्यालय से बाहर कोई अवांछित और अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए विद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

कृपया कुछ बिन्दुओं का ध्यान रखें जो निम्नलिखित हैं :–

1. उन वाहनों को अति संकुलित (Overcrowded) कहा जाएगा जिसमें क्षमता से दुगुने से अधिक बच्चे बैठे हों । कृपया यह सुनिश्चित करें कि वाहन में बच्चे को बैठने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है या नहीं ।

2. कुछ निजी वाहन चालक छुट्टी के बाद देर से बच्चे को लेने के लिए आते हैं । कृपया इस बात का ध्यान रखें कि वैन या ऑटो चालक बच्चे को लेने समय पर पहुँच जाएँ ताकि उसे सड़क पर इंतजार न करना पड़े । सुरक्षा के लिए इस चीज का ध्यान अत्यावश्यक है ।

3. अभिभावकों के पास वाहन चालकों के पहचान पत्र और फोटो होने चाहिए । बहुत से वाहन चालकों ने यातायात विभाग में पंजीकरण नहीं करवाया हुआ है । वाहन चालक का पुलिस सत्यापन (Police Verification) भी होना आवश्यक है ।

4. कुछ वाहन चालक गलत साइड में बच्चों को उतारते हैं । कुछ असुरक्षित जगह पर छात्रों को उतार देते हैं । ऐसा करने पर बच्चे दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं ।

5. वैन व ऑटो चालकों की असभ्य शब्दावली को बच्चे सीखते हैं । अतः उनके व्यवहार व भाषा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

6. कभी–कभी वैन व ऑटो चालक यातायात के नियमों की अवहेलना करते हैं और तेज गति से वाहन चलाते हैं । अभिभावकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और लापरवाही से चलाने वाले चालक को चेतावनी देनी चाहिए ।

7. वैन व ऑटो में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Kit) होना आवश्यक है, जो कि वे नहीं रखते।

8. वैन व ऑटो चालक स्वयं न आकर किसी अन्य व्यक्ति को बच्चों को लाने भेज देते हैं । उन्हें ऐसा न करने दें ।

9. चालकों को मार्ग में स्टेशनरी या खाने–पीने की चीजों के लिए न रूकने को कहें ।

10. चालकों को यह सख्त हिदायत होनी चाहिए कि बच्चे को घर से दूर या बीच रास्ते में न उतारें ।

11. निजी वाहन चालक स्कूली बच्चों के साथ किसी अन्य सवारी को न बिठाएँ ।

12. वाहन चालक बच्चों की उपस्थिति में धूम्रपान न करें ।

13. सुरक्षा के विषय में बच्चों से समय–समय पर बातें करते रहें । ऑटो या वैन के अन्दर भी ध्यान से देख लेना चाहिए, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न रहे ।

14. छात्र द्वारा आधे दिन की छुट्टी की जानकारी ऑटो या वैन चालक को अवश्य दें ।

अभिभावकों को यह सुझाव दिया जाता है कि निजी वाहन चालकों के निम्नलिखित दस्तावेजों की जाँच अवश्य करें :-

1. आधार कार्ड की कॉपी ।
2. वैन की आर. सी. या अन्य दस्तावेज़ ।
3. पुलिस सत्यापन की कॉपी (उसे विद्यालय में भी जमा करवाएँ)
4. यह भी सुझाव है कि बारी–बारी से एक अभिभावक बच्चों के साथ आ जाए, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो ।

Meeting timings with contact no. for prior appointment

Principal 9-00 AM - 10-00 AM

(Please call the school reception on following nos. for appointment)

School Branch	Landline No.	Mobile No.
Main Branch (Class V-XII)	01746-232899	99965-40408
HUDA Branch (Classes K.G.-D - IV)	01746-234899	99965-40409
Nursery Branch (Pre Nsy. - K.G.-C)	01746-235315	99965-40405
Transport Incharge	01746-232899	99965-40403

Block Incharges & Teachers : 3-00 pm - 3-30 pm

Parents whose child is coming to school by conveyance other than school bus are requested to submit the details of mode of conveyance adopted by your child for school in the enclosed format. I seek your support and co-operation.

Your sincerely

Mrs. Suman Nijhawan

Principal

O.S.D.A.V. Public School, Kaithal

INFORMATION ABOUT VAN DRIVER

Name : ____________________

Address: ____________________

Mobile No. : ____________________

Date of Birth ____________________

Aadhaar Card No. : ____________________

Van No.: ____________________

INFORMATION ABOUT STUDENT

Name : ____________________

Class : ______ **Section :** __________ **Roll No.** _______ **Admisssion No.** __________

Address: ____________________

Parents' Name :

Father: ____________________

Mother: ____________________

Mobile No.: ____________________ **(Mother)**

____________________ **(Father)**

UNDERTAKING

We, ____________________(Mother) & ____________________(Father) of Ms./Master ________________ ofClass ________ undertake the responsibility for the safe commuting of my ward to and fro from the school and will not hold the school responsible in case of any unplesant incidence.

Signatures : ____________________ **(Mother)**

____________________ **(Father)**

Date : __________